न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू–अर्जन अधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

भू–अर्जन प्र.क्र. 50/अ–82/2014–15
ग्राम भिखारीमाल प.ह.नं. 37
तहसील रायगढ़ जिला रायगढ़

महाप्रबंधक,
एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना
घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.) आवेदक

विरूध्द

1 अविनाश भगत पिताा सुन्दरम भगत जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
2 कुन्तीदेवी बेवा नरसिंग, देवेन्द्र,योगेन्द, एवन, कमल पिता नरसिंग दिपक पिता चैतराम , लिला बेवा रेखाराम, मनोज, संजय सुनील पिता रेखाराम रेवालाल, उमेश कुमार पिता मिलापराम जाति कोष्टा सा.देह भूमि स्वामी
3 गजानंद पि. आनन्दराम,आन्दराम पि. कलपराम जाति अघरिया सा. देह भूमि स्वामी
4 घनश्याम पि. करन सिंह जाति भैना सा.बोइरदादर भूमि स्वामी
5 घनश्याम, मनोज, अहिल्या, मथूरा, गौरी, सौरी, प्यारी, पिता मंगलु मेघनाथ, प्रेमानंद, रमेश पिता कार्तिकराम, विराट पिता बलराम जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
6 जगदीश पिता डिलेश्वर भूमिलता, चंन्द्रकांति पि. डिलेश्वर मु.जेमा बेवा डिलेश्वर जाति कोलता सा. देह भूमि स्वामी
7 जगदीश पिता डिलेश्वर जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी
8 टेगनू पिता अवधुत जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी
9 पुजेरीलाल पिता सदानंद,ननकी नोनी बेवा सदानंद जाति संवरा सा.दंह भूमि स्वामी
10 विजयशिल पिता ताराचंद जाति नाई सा.टारपाली भूमि स्वामी
11 महादेव बाबा शंकर जी सरवराकार शांति बें. हरिहरलाल,सुरेश,सुदेश,संजय पि.हीरालाल जाति कायस्थ प्रबंधक कलेक्टर रायगढ़ भूमि स्वामी
12 लेकरू,देवकी पि. मोहन,रूपाई,रामलाल पि. सुकदेव जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी
13 नकुल पिता नान्हू जाति सौंरा सा0 देह भूमि स्वाामी
14 बसुमती बेवा जगतराम,इला बेवा शिकारी ,विजय संजय,अजय पिता शिकारी, हरेराम पिता जगतराम, राधेश्याम, सिताराम रमेश पिता बिहारी, टिकेश्वर पिता जगतराम जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी
15 शौकिलाल ,केशबो पिता हरिशंकर जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी
16 संतोष, सुक्लाम्बर ,मकरध्वज पिता हटेश्वर कमला बेवा हटेश्वर जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी
17 सहदेव पिता तिर्थो जाति भोलिया सा.देह भूमि स्वामी
18 छाया बेवा सत्यवादी, महेश,सुबल,बोधराम , सुरूची,जमुना पिता सत्यवादी जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी
19 संतराम पिता कलपराम धनमती बेवा कलपराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी
20 महादेव पिता घांसीराम जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
21 हेमवती पिता मंगलराम जाति उरांव सा कोतरलिया भूमि स्वामी
22 शौकिलाल,केशबो पि. हरीशंकर उजलमती बेवा हरीशंकर जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी
23 शांती बाई बेवा हरिहरलाल सुरेश संजय, संदेश पिता हरिहर लाल जाति कायस्थ सा0 रायगढ़ भूमि स्वाामी

अनावेदकगण.

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

अवार्ड आदेश
(दिनांक 09–05–2017)

(1) यह प्रकरण महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा जिला रायगढ़ के पत्र क्र. REF No 5073/TLCMP/pvt/28/08/15 **भिखारीमाल** दिनांक 20.8.2015 के .अनुसार **ग्राम–भिखारीमाल** प.ह.नं. **37** रा.नि.मं. व तह.–**रायगढ़** जिला **रायगढ़** के निजी भूमि कुल ख.नं. **39** कुल रकबा **8.960** हे. का रेल लाईन निर्माण के लिये अधिग्रहण हेतु भू–अर्जन प्रस्ताव विहित प्रपत्र में प्राप्त होने पर प्रारंभ किया गया।

उपरोक्त भू–अर्जन प्रस्ताव के संदर्भ में पुनर्वास योजना तैयार कर महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माइनिंग परियोजना द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रस्तावित पुनर्वास योजना का अनुमोदन प्रचलित नियमों के तारतम्य में आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर के पत्र क्रमांक 3062/राजस्व/भू–अर्जन/2015 बिलासपुर दिनांक 25.7.2015 अनुसार प्रस्तावित पुनर्वास योजना में निम्नांकित शर्त समाहित कर पुनर्वास योजना का अनुमोदन किया गया है :–

1. कलेक्टर द्वारा मुआवजा का निर्धारण भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत किया जावेगा।
2. शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन किया जावेगा।
3. भूमि अर्जन के बाद स्थल पर जिस कृषक की इतनी कम भूमि षेष बचती हो कि उस पर लाभदायक कृषि संभव न हो, तो शेष भूमि का भी अधिग्रहण किया जावेगा।
4. पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिये वृक्षारोपण किया जावेगा। वृक्षारोपण हेतु कार्य योजना दो माह के भीतर तैयार किया जावे, ताकि आगामी बरसात के पूर्व वृक्षारोपण का कार्य किया जा सके।
5. पुनर्वास पैकेज एवं प्रतिकर के पूर्ण भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
6. मकान विस्थापितों के लिऐ वैकल्पिक व्यवस्था की जावे।
7. कलेक्टर रायगढ़ भू–अर्जन कार्य का समुचित पर्यवेक्षण करेंगे, एवं प्रत्येक तीन माह में अपना प्रगति प्रतिवेदन राज्य शासन को एवं इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
8. एनटीपीसी लिमिटेड तलाईपाली तहसील घरघोड़ा जिला रायगढ़ कोल माईंस ताप विद्युत परियोजना के कियान्वयन एजेंसी द्वारा कराये गये कार्य गुणवत्ता के अनुसार हो, यह सुनिष्चित किया जावे।
9. प्रभावित परिवारों को रोजगार सुनिश्चित करने की दृष्टि से आजिविका ट्रेड में प्रशिक्षण व्यवस्था किया जावेगा। पश्चात सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्राथमिकता में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से रोजगार/जीविका उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।
10. जिले के निःशक्तजनों के लिए आजीविका प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु विशेष प्रयास करना होगा।
11. नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013 के दूसरी अनुसूची धारा 31(1) 38(1) और धारा 105 (3) के प्रावधानों का भी पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा।

(2) उपरोक्त अनुक्रम में महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना से ग्राम **भिखारीमाल** के प्रस्तावित निम्नांकित भूमि के अधिग्रहण किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के संदर्भ में छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में अधिग्रहण कार्यवाही हेतु प्रकरण में भू–अर्जन अधिनियम की धारा–11(1) के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन निम्नानुसार कराया गया :–

अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण :–

खसरा	रकबा (हे0) में	खसरा	रकबा (हे0) में	खसरा	रकबा (हे0) में	खसरा	रकबा (हे0) में
50/1	0.081	126	0.235	125/5	0.016	70/61	0.202
127	0.053	121/2	0.223	121/1	0.522	70/62	0.008
128	0.101	129	0.182	65/1	0.839	70/59	0.243
70/40	0.056	65/2	0.242	70/12	0.081	70/4	0.101
66	0.176	70/68ख	0.056	122/4	0.049	151/4	0.101
70/49ख	0.599	67	1.947	70/27	0.128	151/3	0.202
70/31	0.101	70/19	0.158	152	0.303	57	0.081
70/68क	0.202	151/2	0.202	70/26	0.089	70/33	**0.020**
125/1	0.243	125/2	0.283	70/41	0.012	131/1	0.307
125/3	0.129	125/4	0.112	70/49ग	0.275	कुल ख.नं. 39 रकबा 8.960हे.	

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

अधिनियम की धारा–11 (1) के प्रकाशन का विवरण निम्नानुसार है:–

1. छ.ग. राजपत्र में दिनांक 2/10/15
2. स्थानीय समाचार पत्र जनकर्म दिनांक 15/10/2015
3. क्षेत्रिय समाचार पत्र नईदुनिया दिनांक 15/10/2015
4. ग्राम में मुनादी के माध्यम से दिनांक 08/11/2015

(3) प्रकरण में अधिनियम की धारा–11(1) के अधिसूचना प्रकाशन उपरांत समयावधि में कोई भी दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। फलस्वरूप प्रकरण में अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत सुनवाई की आवश्यकता नहीं हुई।

श्री प्रकाश श्रीवास्तव, हेमलता श्रीवास्तव पिता मोहनलाल, की ओर से श्री गुप्ता अधि. एवं कौशल देवांगन आ. एस.एल. देवांगन, द्वारा लिखित आवेदन पत्र दिनांक 23.02.2016 प्रस्तुत किया गया, जो अवधि वाह्य होने के कारण अग्राह्य किया गया।

(4) महाप्रबधक, एनटीपीसी लिमि. तलाईपाली के पत्र कमांक 5073/तलाईपाली/एमजीआर/सेवा भूमि/04/16 दिनांक 22.4.2016 के साथ ग्रामवार सेवा भूमि की सूची सलग्न कर निवेदन किया है जिसमें ग्राम भिखारीमाल की सेवा भूमि ख.नं. 152 को अधिनियम की धारा 19 की कार्यवाही से पृथक किया जावे। अतः उपरोक्तानुसार दावा/आपत्तियों का निराकरण करते हुए तथा सेवा भूमि ख.नं. 152 रकबा 0.303 हे. भूमि को अधिग्रहण की कार्यवाही से पृथक करते हुए शेष कुल खसरा नं. 38 कुल रकबा 8.657 हे. भूमि का प्रकरण में अधिनियम की धारा–19 की घोषणा के प्रकाशन की कार्यवाही निम्नानुसार कराया गया:–

1. छ.ग. राजपत्र में दिनांक 10.06.2016 को भाग–1 पृ.क्र. 1071
2. स्थानीय समाचार पत्र 1. जनकर्म में दिंनाक. 02.6.2016
   2. हरिभूमि में दिंनाक. 02.06.2016
3. स्थानीय तौर पर ग्राम में मुनादी के माध्यम से दिनांक 28.5.2016

प्रकरण में धारा 19 की घोषणा के प्रकाषन उपरान्त कोई भी दावा/आपत्ति प्राप्त नही हुआ।

(5) प्रकरण में अधिनियम की धारा–21 की सूचना दिनांक 20.5.2016 को जारी कर भू–स्वामियों को सुनवाई हेतु दिनांक 27.6.2016 को आहूत किया गया। कुछ भू–स्वामिमियों के निवेदन पर धारा 21 के अंतर्गत सुनवाई हेतु उचित अवसर देते हुए दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने की तारीख 30.7.2016 तक बढ़ाई गई। तथा प्राप्त दावा/आपत्तियों के संबंध में तहसीलदार, रायगढ़ एवं आवेदक निकाय से संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। आपत्तिवार निराकरण निम्नानुसार है :– 1. कौशल देवांगन आ. स्व. लोकनाथ देवांगन नि. पैलेस रोड़ कोष्टापारा रायगढ़ (छ.ग.) 2. विनिता पाण्डे आ. सहदेव पाण्डे, 3.भावना दूबे आ. आर के दूबे चांदनी चौक रायगढ़ के द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई है–

1. यह कि दिनांक 17.10.2015 को धारा (1) भू–अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाषित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकाषन न करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकाषन कराया जाता है जबकी भू – अर्जन की प्रकिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकाशन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के प्रकाषन पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधनित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

2. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू–अर्जन के अध्याय अधिनियम 2व3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेष पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

ग.शासन के द्वारा एवं भू–अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

3. यह कि धारा 11 के बेवसाईड में प्रकाषन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दूसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू – अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरित है।

4. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे– बिक्री,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाषन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्शित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण में आता है। तथा टुकड़ा नक्षा का बटांकन विधिवत नहीं किया गया है।

5. यह कि सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

6. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार का प्रकाषन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार्क का प्रकाषन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धरा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रक्रियाओं का समावेश कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।

7. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी.सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू –अर्जन की प्रक्रियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू–अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।

8. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास निति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लाख दिया जावेगा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/–रू. प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू – अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000/–रू. प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/–रू.बढ़ाया जायेगा। जबकी सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013–14 में नहीं हुआ है और न ही इसं संदर्भ में सचिवालय रायपुर में दिषा निर्देष प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और नही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चूंकि छ.ग. शासन का कृषि भूमि में निरन्तर भू–स्वामी है एवं एन.टी.पी.सी. प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

9. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भू–अर्जन प्रक्रिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना/जानकारी देने के उपरांत ही भू – अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जावे ताकि भविष्य में एन.टी.पी.सी.लारा परियोजना की भांती इस परियोजना में भी भूमि पर कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावष्यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़ें। यदि जानबुझ कर आपत्तिकर्ता के हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी।

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

10.यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकाषित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू–अर्जन अधिनियम का प्रकाषन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिषः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रकिया भू–अर्जन अधिनियम के तहत आदेषात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।

11.एन.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा ग्राम –गहिलगढ़ (पं.) विद्यांचल (मध्यप्रदेष) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से क्रय किया गया है एवं दिनांक 18.03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को नौकरी के एवज में 700000/–रू. (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन, धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाशन नहीं कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के एवज में पैकेज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रति वर्गफुट वर्ष 14–15 गाईड लाईन दर से मुआवजा राषि का निर्धारण कर नवीन भू–अर्जन अधिनियम के तहत 4 गुना, दिया जावे चूंकी अन्य प्रान्त में (सुन्दरगढ़ ओडिसा) में एन.टी.पी.सी. के द्वारा 22.00 लाख रू. प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राषि का निर्धारण किया गया है।

प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार किया गया :–

1. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई–राजपत्र के रुप में समूचित सरकार (छ.ग. शासन) की वेबसाइट में 02.10.15 को प्रकाशित कि जा चुकी है। ग्राम भिखरीमाल के लिए प्रारंभिक अधिसूचना (धारा11) का अंतिम प्रकाशन ग्राम प्रकाशन 08.11.15 के अनुसार 07.01.15 तक 60 दिन की समयावधि नियत थी। इस समय सीमा में प्राप्त आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई है।

2. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राशि भी जमा कि जा चुकी थी।

3. धारा 11 का प्रकाश्शन निम्नानुसार किया गया है :–
   1. छ.ग. राजपत्र – 2/10/15
   2. समुचित सरकार (छ.ग.शासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/ egazette) ई – राजपत्र – 2/10/2015
   3. स्थानीय समाचार पत्र जनकर्म दिनांक 15/10/2015
   4. क्षेत्रिय समाचार पत्र नईदुनिया दिनांक 15/10/2015
   5. ग्राम प्रकाशन दिनांक 08/11/2015

   उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।

4. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18/12/15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। इस भू – अर्जन प्रकरण में भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत वैध दस्तावेजों के अनुसार राजस्व अभिलेख को दुरुस्त कर भू – अर्जन की कार्यवाही चल रही है।

5 भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

6. कमिश्नर बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा इस भू अर्जन प्रकरण हेतु अनुमोदित पुर्नवासन योजना के सार का प्रकाशन ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ किया जा चुका है।

7. अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निमयानुसार जांच कर निराकरण किया गया है।

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.
रायगढ़ (छत्तीसगढ)

8. दिनांक 02.07.2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014–15 में माननीय मंत्री एवं विधायक महोदय, कलेक्टर,सी.ई.ओ.जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई थी। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात 8.7.14 को बैठक के बिंदुओं की प्रति भी सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी।

9. प्रकरण में अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमिस्वमी को धारा 21 की सूचना जारी की गई है। तथा उन्हें सूना गया है।

10. दिनांक 10.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाषन उपरांत 27.6.2016 एवं पुनः 30.7.16 की तिथि नियत कर धारा 21 की सुनवाई की गई।इस प्रकार भू –अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपत्तियां ली गई। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं अतिरिक्त रुप से रायगढ़ की वेब साइट में अपलोड कर दिया गया था।

11. भारत में राज्य शासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित शासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन /ब्रिकी छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुनर्वास नीति हर जगह राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के षेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू–अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिष्नर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।

3 आपत्तिकर्ता–जनार्दन सिंह आ. भरतलाल श्रीमती रिता पति जनार्दन सिंह ना.बा. आर्या पिता जनार्दन सिंह द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है:–

1 .धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार का प्रकाषन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार्क का प्रकाषन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धरा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रक्रियाओं का समावेष कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।

2. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी.सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू –अर्जन की प्रक्रियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू–अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।

3. यह कि रिट पिटिषन कमांक 1443 नितिष अग्रवाल, मेनका अग्रवाल बनाम छ.ग. शासन व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा दिनांक 14.09.2015 को यह आदेषित किया गया था कि भू–अर्जन अधिनियम के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 का पालन किये जाने का निर्देषित किया गया था। जिसकी प्रतिलिपि आपत्ति के साथ प्रस्तुत की गयी थी, किन्तु अनावेदक एवं तहसीलदार रायगढ़ तथा श्रीमान के द्वारा उक्त बिन्दुओं का अव्हेलना किया गया है। विदित हो की माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदश को सम्पूर्ण छ.ग.में पालन किया जाना है। उपरोक्त त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के क्षुब्ध होकर अन्य प्रकरण किशन लाल शर्मा, शोभा अग्रवाल रिट पिटिषन क. 1507/16,1508/2016 प्रस्तुत है, जिसमें छ.ग. शासन वगैरह को 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया गया है, चूंकि उक्त प्रकरण की एक ही प्रकृति की है, ऐसी स्थिति में बिना निराकरण के भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही नही किया जावे।

4. यह कि सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

5. यह कि दिनांक 17.10.2015 को धारा (1) भू–अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाषित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकाषन न करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में कार्यरत

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.
रायगढ़ (छत्तीसगढ)

कर्मचारियों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकाषन कराया जाता है जबकी भू – अर्जन की प्रकिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकाषन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के प्रकाषन पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधनित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

6. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकाषित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू–अर्जन अधिनियम का प्रकाषन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिषः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रकिया भू–अर्जन अधिनियम के तहत आदेषात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।

7. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू–अर्जन के अध्याय अधिनियम 2व3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेष पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेष पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाषन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाषन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू–अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

8. यह कि धारा 11 के बेबसाईड में प्रकाषन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाषन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाषान के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दुसरी ओर धारा 19 का प्रकाषन किया जाना नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013के प्रावधानों के विपरित है।

9. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाषन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे– बिक्री,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाषन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्षित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि भू–अर्जन की धारा 86,87 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

10. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भू–अर्जन प्रकिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना/जानकारी देने के उपरांत ही भू – अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जावे ताकि भविष्य में एन.टी.पी.सी.लारा परियोजना की भांती इस परियोजना में भी भूमि पर कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावष्यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़ें। यदि जानबुझ कर आपत्तिकर्ता के हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी।

11. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास निति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लाख दिया जावेगा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/–रू. प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू – अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000/–रू. प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/–रू.बढ़ाया जायेगा। जबकी सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013–14 में नहीं हुआ है और न ही इसं संदर्भ में सचिवालय रायपुर में दिषा निर्देष प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और नही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चूंकि छ.ग. शासन का कृषि भूमि में निरन्तर भू–स्वामी है एवं एन.टी.पी.सी. प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

12. एन.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा ग्राम –गहिलगढ़ (पं.) विद्यांचल (मध्यप्रदेष) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से क्रय किया गया है एवं दिनांक 18.03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को नौकरी के एवज में 700000/–रू. (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन, धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाषन नहीं कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के एवज में पैकेज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रति एकड़ 2000000/–(बीस लाख रूपये) की दर से मुआवजा राषि का निर्धारण कर नवीन भू–अर्जन अधिनियम के तहत 4 गुना, दिया जावे चूंकी अन्य प्रान्त में (सुन्दरगढ़ ओडिसा) में एन.टी.पी.सी. के द्वारा 22.00 लाख रू. प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राषि का निर्धारण किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

1. कमिश्नर बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा इस भू अर्जन प्रकरण हेतु अनुमोदित पुर्नवासन योजना के सार का प्रकाशन ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ किया जा चुका है।

2. अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निमयानुसार जांच कर निराकरण किया गया है।

3 रेंगालपाली ग्राम के भू अर्जन से संबंधित शोभा अग्रवाल की रिट पिटिषन क्रमांक ॅच्ब1508/ 2016 माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचराधीन है एवं छ.ग.शासन द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश का पालन किया जाएगा।उल्लेखित रिट पिटिशन क्रमांक 1443 नितिश अग्रवाल बनाम छ.ग. शासन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में वर्तमान में विचाराधिन है।

4. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

5. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई–राजपत्र के रुप में समूचित सरकार (छ.ग. शासन) की वेबसाइट में 02.10. 15 को प्रकाशित कि जा चुकी है। ग्राम भिखरीमाल के लिए प्रारंभिक अधिसूचना (धारा11) का अंतिम प्रकाशन ग्राम प्रकाशन 08.11.15 के अनुसार 07.01.15 तक 60 दिन की समयावधि नियत थी। इस समय सीमा में प्राप्त आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई है।

6. दिनांक 10.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाषन उपरांत 27.6.2016 एवं पुनः 30.7.16 की तिथि नियत कर धारा 21 की सुनवाई की गई।इस प्रकार भू –अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपत्तियां ली गई। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं अतिरिक्त रुप से रायगढ़ की वेब साइट में अपलोड कर दिया गया था।

7. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेष के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राषि भी जमा कि जा चुकी थी।

8. धारा 11 का प्रकाषन निम्नानुसार किया गया है :–

1. छ.ग. राजपत्र – 2/10/15
2. समुचित सरकार (छ.ग.शासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/ egazette) ई – राजपत्र – 2/10/2015
3. स्थानीय समाचार पत्र जनकर्म दिनांक 15/10/2015
4. क्षेत्रिय समाचार पत्र नईदुनिया दिनांक 15/10/2015
5. ग्राम प्रकाशन दिनांक 08/11/2015

उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

9. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में संलग्न राजस्व दस्तावेजों तथा भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक सुधार कर भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

10. प्रकरण में अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमिस्वमी को धारा 21 की सूचना जारी की गई है। तथा उन्हें सूना गया है।

11. दिनांक 02.07.2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014–15 में माननीय मंत्री एवं विधायक महोदय, कलेक्टर,सी.ई.ओ.जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई थी। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात 8.7.14 को बैठक के बिंदुओं की प्रति भी सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी।

12 भारत में राज्य शासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित शासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन /ब्रिकी छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुनर्वास नीति हर जगह राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के षेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू–अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिष्नर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।

4 आपत्तिकर्ता धनश्याम पिता करन सिंह जाति भैना, निवासी बोईरदादर तह0 व जिला रायगढ़ द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है:–

1. भूमिस्वामी घनष्याम निम्नानुसार आपत्ति प्रस्तुत करता है– भूमिस्वामी घनष्याम का पहला आपत्ति है कि ख. नं. 66 रकबा 0.176 हे. की भूमि में आपके द्वारा प्रेषित नोटिस के कालम में पेड़ो की कोई संख्या दर्षित नहीं है जबकी उक्त भूमि पर चार नग नीम, तीन नग फारनसिया एवं एक नग कसही, एक नग रिंया का पेड़ वर्तमान में जीवित है अतएव यह आवष्यक हो गया है कि संबंधित हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक को निर्देषित किया जावे कि आपत्तिकर्ता की उपस्थिति में मौका जाकर पेड़ों की स्थिति के बारे में सही गणना कर मुआवजा राषि दिलायी जावे।

2. यह कि आपत्तिकर्ता की भूमि जिसे भू अर्जन में लिया जा रहा है उसके पश्चात बचत भूमि अत्यधिक कम हो जावेगा। एवं उक्त रेल्वे लाईन गुजरने से बचत भूमि में प्रवेष कर कृषि कार्य कर पाना संभव नहीं है। अतएव आपत्तिकर्ता को उसके बचत भूमि का भी मुआवजा राषि दिलाया जावे।

3. यह कि भूमि स्वामी के निम्नांकित पुत्र पूत्रियां है। टिकेष्वर आ. घनष्याम , भारति आ. घनष्याम, राजकुमारी पति घनष्याम उपरोक्त सभी संताने/सदस्य भूमि अर्जन की भूमि पर पूर्ण रूप से आश्रित है अतः भू अर्जन पुर्नवास एवं पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिनियम 2013 के अनुरूप समस्त प्रभावितों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

4. यह कि भू अर्जन मुआवजा राषि दर से बराबर की रकम दिलायी जावे।

5. यह कि भू अर्जन की मुआवजा किस दर से निर्धारित है स्पष्ट करायी जावे बोनस तथा प्रभावित कुटुम्ब /परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वहन अनुदान दिलायी जावे।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

1 . आवेदित भूमि खसरा नं. 66 रकबा 0.388 हे. में से 0.095 हे. अधिग्रहित की जा रही है, जिसका स्थल जॉच किया गया मौके पर निम 2 नग, फारमेसिया 1 नग स्थित होना पाया गया । जिसका गाईड लाईन 2015–16 के दर से मुल्यांकन किया गया है।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

2. आवेदित भूमि खसरा नं. 66 रकबा 0.388 हे. में से 0.095 हे. अधिग्रहित की जा रही है, शेष बचत भूमि को आवष्यकता नहीं होने के कारण अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है।

3. अद्यतन अभिलेख के अनुसार उक्त भूमि का मुआवजा भू अर्जन पुर्नवास एवं पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिनियम 2013 का पालन करते हुए किया गया है।

4. गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा का निर्धारण किया गया है।

5. भू–अर्जन का मुआवजा 2015–16 के बाजार मूल्य के अनुसार किया गया है। पुर्नवास का लाभ भू–अर्जन पुर्नवास एवं पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिनियम 2013 का पालन करते हुए शासन के निर्देशानुसार पात्र प्रभावितों को दिया जायेगा।

5 आपतितकर्ता अविनाश भगत चर्चरोड़ मौदहापारा रायगढ द्वारा निम्नांकित आपत्ति की गई हैः–

निवेदन है कि ग्राम भिखारीमाल प.ह.नं.18 तह जिला रायगढ़ स्थित भूमि ख.नं. 50/1 रकबा 0.559 हे. मे से रकबा 0.081 हे. को औद्योगिक प्रयोजन के लिये अर्जन में लिया गया है।उक्त भूमि आवेदक अविनाष भगत पिता सुन्दरम भगत निवासी चर्चरोड मौदहापारा रायगढ़ की डायवर्सन भूमि है। उक्त दर्षित भूमि डायवर्सन भूमि होने से अधिक मूल्य की है और कम मूल्य पर मुआवजा वितरण होने से आवेदक क्षति होगी जिससे आवेदक को आपत्ति है उक्त भूमि डायवर्सन होने व भूमि का मूल्य अधिक होने से मुआवजा राषि का निर्धारण अधिक मूल्य पर किया जावे अन्यथा आवेदक को आपत्ति है।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

आवेदित भूमि खसरा नं. 50/1 रकबा 0.559 हे. में से 0.065 हे. भूमि अधिग्रहित की जा रही है, स्थल जॉच के अनुसार मौके पर भूमि का औद्योगिक प्रयोजन में किसी प्रकार का निर्माण एवं उपयोग नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि का मूल्यांकन भू अर्जन पुर्नवास एवं पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिनियम 2013 के अनुसार किया गया है।

6 आपत्तिकर्ता हरेराम भिखारीमाल पो. बोईरदादर द्वारा निम्नांकित आपत्ति की गई हैः–

विषयांतर्गत निवेदन है कि ग्राम भिखारीमाल प.ह.नं.37 तह. जिला रायगढ़ छ.ग. में एनटीपीसी तलाईपाली के रेल परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण पुनरवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु भूमि अधिग्रहण अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार हमें धारा 21 का नोटिस पाप्त हुआ है। हमारे द्वारा धारा 11 व धारा 19 के प्रकाषन के पूर्व से आपत्ति दर्ज करा दि जा रही है जिसका आज तक कोई समाधान नहीं किया गया है। जिससे हमारे और एनटीपीसी के अधिकारीयों। कर्मचारियो के बीच विष्वास एवं सामंजस्व कि कमी के कारण आज तक हमारे भूमि कि वास्तविक स्थिति (प्रवार) पेड़ो कि संख्या नलकुप, कुआं, मकान इत्यादी कि सही गणना नहीं किया गया है, हमारे प्रभावित भूमि में कई किष्म के पेड़ होने के बाद धारा 21 के नोटिस में निरंक दर्षाया गया है भूमि दोफसली होने के बाद इसका कोई उल्लेख नहीं है। और न हीं भूमि के दर (किमत) सम्बन्धी कोई जानकारी हमें नहीं दिया गया है नही इस संबंन्ध में समाचार पत्रों में गॉव वार दर का कोई जानकारी प्रकाषित किया गया है इस स्थिति में हम भू अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं अपने हित सम्बन्धित कोई दावा किस आधार पर कर सकते है और भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर कैसे प्राप्त कर सकते है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमें उपर दर्षित सभी बिन्दुओं कि विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के बाद दावा /आपत्ति का उचित अवसर प्रदान करें ताकि हम भू अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर सम्बन्धी अपनी दावा आपत्ति मय अभिलेखों के प्रमाणों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत कर उचित प्रतिकर प्राप्त कर सकें।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

आवेदित भूमि खसरा नं. 125/2 रकबा 0.283 हे. में से 0.283 हे. एवं खसरा नं. 125/4 रकबा 0.628 हे. में से 0.093 हे., ख.नं. 125/5 रकबा 0.154 में से 0.016, खसरा नं 121/1 रकबा 0.552 मे से 0.405 हे., खसरा नं. 65/1 रकबा 1.069 हे. मे से 0.728 हे, खसरा नं. 122/4 रकबा 0.324 में से 0.049 हे. एवं खसरा नं. 70/12 रकबा 0.081 मे से 0.081 हे. कुल अधिग्रहित रकबा 1.655 हे. भूमि का स्थल जॉच किया गया जिसके

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

अनुसार उपरोक्त प्रभावित भूमि खार असिंचित किस्म का है नलकूप, कुआ, मकान इत्यादि स्थित नही है। मौके पर – खम्हार 7 नग, आम 8 नग, सरसिवा 2 नग, नीम 2 नग, अमरूद 2 नग, पीपल 1 नग, इमली 1 नग, बांस भिरा 1 नग, महुआ 1 नग, नीम 3 नग, सरसिवा 1 नग, सागौन 3 नग, आम 3 नग, नीम 1 नग, केंकट 1 नग, मौहा 4 नग, कसही 2 नग, बेहरा 1 नग कुल 44 पेड़ स्थित होना पाया गया जिसका गाईड लाइन 2015 – 16 की दर से मूल्यांकन किया गया है।

भू–अर्जन का मुआवजा 2015–16 के बाजार मूल्य के अनुसार किया गया है। पुर्नवास का लाभ भू–अर्जन पुर्नवास एवं पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिनियम 2013 का पालन करते हुए शासन के निर्देशानुसार पात्र प्रभावितों को दिया जायेगा।

7. आपत्तिकर्ता देवेन्द्र मेहर, योगेन्द्र मेहर, एवन मेहर, कमल मेहर द्वारा निम्नांकित आपत्ति की गई हैः–

विषयांतर्गत निवेदन है कि ग्राम भिखारीमाल प.ह.नं.37 तह. जिला रायगढ़ छ.ग. में एनटीपीसी तलाईपाली के रेल परियोजना हेते भूमि अधिग्रहण पुनरवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु भूमि अधिग्रहण अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार हमें धारा 21 का नोटिस पाप्त हुआ है। हमारे द्वारा धारा 11 व धारा 19 के प्रकाषन के पूर्व से आपत्ति दर्ज करा दि जा रही है जिसका आज तक कोई समाधान नहीं किया गया है। जिससे हमारे और एनटीपीसी के अधिकारीयों। कर्मचारिंयो के बीच विष्वास एवं सामंजस्व कि कमी के कारण आज तक हमारे भूमि कि वास्तविक स्थिति (प्रवार) पेड़ो कि संख्या नलकुप, कुआं, मकान इत्यादी कि सही गणना नहीं किया गया है, हमारे प्रभावित भूमि में कई किष्म के पेड़ होने के बाद धारा 21 के नोटिस में निरंक दर्षाया गया है भूमि दोफसली होने के बाद इसका कोई उल्लेख नहीं है। और न हीं भूमि के दर (किमत) सम्बन्धी कोई जानकारी हमें नहीं दिया गया है नही इस संबंन्ध में समाचार पत्रों में गॉव बार दर का कोई जानकारी प्रकाषित किया गया है इस स्थिति में हम भू अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं अपने हित सम्बन्धित कोई दावा किस आधार पर कर सकते है और भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर कैसे प्राप्त कर सकते है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमें उपर दर्षित सभी बिन्दुओं कि विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के बाद दावा/आपत्ति का उचित अवसर प्रदान करें ताकि हम भू अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर सम्बन्धी अपनी दावा आपत्ति मय अभिलेखों के प्रमाणों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत कर उचित प्रतिकर प्राप्त कर सकें।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

आवेदित भूमि खसरा नं. 127 रकबा 0.089 हे. में से 0.053 हे. एवं खसरा नं. 128 रकबा 0.240 हे. में से 0.101 हे. भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। जिसका स्थल जांच के अनुसार उक्त भूमि खार असिंचित किस्म का है एवं खसरा नं. 128 के प्रभावित क्षेत्र में एक पेड़ इमली विस्तृत होना पाया गया इसके अतिरिक्त प्रभावित भूमि पर नलकूप कुआं, मकान इत्यादि स्थित नही होना पाया गया। जिसका गाईड लाईन 2015–16 के दर से मुल्यांकन किया गया है। भू–अर्जन का मुआवजा 2015–16 के बाजार मूल्य के अनुसार किया गया है। पुर्नवास का लाभ भू–अर्जन पुर्नवास एवं पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिनियम 2013 का पालन करते हुए शासन के निर्देशानुसार पात्र प्रभावितों को दिया जायेगा।

8 आपत्तिकर्ता–महेश प्रधान , सुबल प्रधान, छाया प्रधान, सुरूचि प्रधान, जमुना प्रधान, बोधराम प्रधान द्वारा निम्नांकित आपत्ति की गई हैः–

विषयांतर्गत निवेदन है कि ग्राम भिखारीमाल प.ह.नं.37 तह. जिला रायगढ़ छ.ग. में एनटीपीसी तलाईपाली के रेल परियोजना हेते भूमि अधिग्रहण पुनरवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु भूमि अधिग्रहण अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार हमें धारा 21 का नोटिस पाप्त हुआ है। हमारे द्वारा धारा 11 व धारा 19 के प्रकाषन के पूर्व से आपत्ति दर्ज करा दि जा रही है जिसका आज तक कोई समाधान नहीं किया गया है। जिससे हमारे और एनटीपीसी के अधिकारीयों। कर्मचारिंयो के बीच विष्वास एवं सामंजस्व कि कमी के कारण आज तक हमारे भूमि कि वास्तविक स्थिति (प्रवार) पेड़ो कि संख्या नलकुप, कुआं, मकान इत्यादी कि सही गणना नहीं किया गया है, हमारे प्रभावित भूमि में कई किष्म के पेड़ होने के बाद धारा 21 के नोटिस में निरंक दर्षाया गया है भूमि दोफसली होने के बाद इसका कोई उल्लेख नहीं है। और न हीं भूमि के दर (किमत) सम्बन्धी कोई जानकारी हमें नहीं दिया गया है नही इस संबंन्ध में समाचार पत्रों में गॉव बार दर का कोई जानकारी प्रकाषित किया गया है इस स्थिति में हम भू अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं अपने हित सम्बन्धित कोई दावा किस आधार पर कर सकते है और भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर कैसे प्राप्त कर सकते है।

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमें उपर दर्षित सभी बिन्दुओं कि विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के बाद दावा /आपत्ति का उचित अवसर प्रदान करें ताकि हम भू अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर सम्बन्धी अपनी दावा आपत्ति मय अभिलेखों के प्रमाणों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत कर उचित प्रतिकर प्राप्त कर सकें।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

खसरा नं. 70/49 ग रकबा 0.275 में से 0.275, 70/61 रकबा 0.202 में से 0.202 हे. 70/59 रकबा 0. 243 मे से 0.243 कुल रकबा 0.720 हे. अधिग्रहण किया जा रहा है जिसका स्थल जांच के अनुसार ख. नं. 70/49 ग रकबा 0.275 एवं ख. नं. 70/59 रकबा 0.243 खार सिंचित दो फसली एवं खसरा नं.70/61 रकबा 0. 202 हे. खार असिंचित भूमि है। इस पर नीम 9, कसीही 4, आंवला 5, खैर 1, बेर 14, नीम 11, सागौन 7, मौहा 2, कसीही 3, आम 5, सागौन 1, बेर 1, बांस भिरा 6 स्थित होना पाया गया है। तथा 70/49 ग में एक नलकूप 5 एच.पी स्थित है जो प्रभावित क्षेत्र में आ रहा है का मुल्यांकन गाईड लाईन वर्ष 2015 – 16 के अनुसार किया गया है। भू–अर्जन का मुआवजा 2015–16 के बाजार मूल्य के अनुसार किया गया है। पुर्नवास का लाभ भू–अर्जन पुर्नवास एवं पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिनियम 2013 का पालन करते हुए शासन के निर्देशानुसार पात्र प्रभावितों को दिया जायेगा।

9 आपत्तिकर्ता – मनोज नायक, मेघनाथ, प्रेमानंद, रमेष, विराट नायक द्वारा निम्नांकित आपत्ति की गई हैः–

विषयांतर्गत निवेदन है कि ग्राम भिखारीमाल प.ह.नं.37 तह. जिला रायगढ़ छ.ग. में एनटीपीसी तलाईपाली के रेल परियोजना हेते भूमि अधिग्रहण पुनरवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु भूमि अधिग्रहण अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार हमें धारा 21 का नोटिस पाप्त हुआ है। हमारे द्वारा धारा 11 व धारा 19 के प्रकाषन के पूर्व से आपत्ति दर्ज करा दि जा रही है जिसका आज तक कोई समाधान नहीं किया गया है। जिससे हमारे और एनटीपीसी के अधिकारीयों। कर्मचारिंयो के बीच विष्वास एवं सामंजस्व कि कमी के कारण आज तक हमारे भूमि कि वास्तविक स्थिति (प्रवार) पेड़ो कि संख्या नलकुप, कुआं, मकान इत्यादी कि सही गणना नहीं किया गया है, हमारे प्रभावित भूमि में कई किष्म के पेड़ होने के बाद धारा 21 के नोटिस में निरंक दर्षाया गया है भूमि दोफसली होने के बाद इसका कोई उल्लेख नहीं है। और न हीं भूमि के दर (किमत) सम्बन्धी कोई जानकारी हमें नहीं दिया गया है नही इस संबंन्ध में समाचार पत्रों में गॉव बार दर का कोई जानकारी प्रकाषित किया गया है इस स्थिति में हम भू अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं अपने हित सम्बन्धित कोई दावा किस आधार पर कर सकते है और भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर कैसे प्राप्त कर सकते है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमें उपर दर्षित सभी बिन्दुओं कि विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के बाद दावा /आपत्ति का उचित अवसर प्रदान करें ताकि हम भू अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर सम्बन्धी अपनी दावा आपत्ति मय अभिलेखों के प्रमाणों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत कर उचित प्रतिकर प्राप्त कर सकें।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

आवेदित भूमि खसरा नं. 70ध49ख रकबा 0.599 हे. में से 0.599 हे. अधिग्रहित की जा रही है, जिसका स्थल जॉच किया गया जिसके अनुसार मौके पर उक्त भूमि खार सिंचित दो फसली किस्म का है। एवं दो एच. पी का बोर स्थित है तथा :– सागौन 4 नग, नीम 7 नग, पीपल 1 नग, केला 28 नग, अमरूद 1 नग, कसही 1 नग, बॉस भिरा 1 नग, बेर 1 नग, कहवा 2 नग खम्हार 1 नग पेड़ स्थित होना पाया गया जिसका गाईड लाईन 2015–16 के दर से मुल्यांकन किया गया है। भू–अर्जन का मुआवजा 2015–16 के बाजार मूल्य के अनुसार किया गया है। पुर्नवास का लाभ भू–अर्जन पुर्नवास एवं पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिनियम 2013 का पालन करते हुए शासन के निर्देशानुसार पात्र प्रभावितों को दिया जायेगा।

10 आपत्तिकर्ता (समस्त ग्रामवासी) 1. जगदीश प्रधान, 2.टेंगनू प्रधान 3.बिपिन भूलिया 4.विकास प्रधान 5. महेष प्रधान 6. आनंदराम पटेल 7. संतराम पटेल 8. शौकीलाल नायक 9. केष्बो नायक 10. रामलाल बारीक 11. रोहित प्रधान 12. टिकेष्वर प्रधान 13.नकूल 14. श्यामलाल चौहान 15. मकरध्वज नायक 16. कमला नायक 17. शुक्लांम्बर नायक 18.संतोष नायक 19. बिराट नायक 20. रमेष प्रधान 21. सीताराम प्रधान 22. राधेष्याम प्रधान 23.गजानंद पटेल 24.देवकी बारीक 25. घनष्याम नायक 26.घनष्याम सिदार 27.नेहरू 28.सौरी नायक 29. प्यारी नायक 30.मनोजनायक 31.रमेश नायक 32. मेघनाथ नायक 33.प्रेमानंद नायक 34.देवदत्त प्रधान 35. बेलमती प्रधान 36.हरेराम प्रधान 37.इला प्रधान 38.विजयसील 39.निरंजन प्रधान 40.दुर्योधन प्रधान 41. सुषील नायक

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

42. ठंडाराम बारीक 43. शिवनाथ प्रधान 44.संजय प्रधान 45 अवधेष प्रधान 46. वल्लभ खम्हारी 47.सुरेन्द्र खम्हारी 48. उमा महार 49. कृष्ण नायक 50. रमेष श्रीवास्तव 51.आकाष मेहर 52.ललित खम्हारी 53. चन्द्रभानू प्रधान 54. मोतीलाल खम्हारी 55.बिराट नायक 56. सेतकुमार प्रधान 57. नंदकिषोर प्रधान 58.रोहित प्रधान परमानंद मेहर 59.मकरध्वज नायक 60.भगतराम प्रधान 61. रूद्र प्रसाद नायक 62.स्रोज मेहर 63.जगदीश ठाकुर 64.यज्ञवती 65.केदारनाथ खम्हारी 66.नंदराम मेहर 67.टंकधर प्रधान 68.काशीराम प्रधान 69.सुरेन्द्र महार 70.दौलत खम्हारी 71.सरीता श्रीवास्तव 72. जयदीप नायक 73.बिरेन्द्र प्रधान द्वारा निम्नांकित आपत्ति की गई है:–

ग्राम भिखारीमाल के ग्रामवासियों के द्वारा एनटीपीसी द्वारा प्रस्तावित एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना रेल लाईन का वर्ष 2013 के निरंतर विरोध दर्ज, सिंचित भूमि के संरक्षण हेतु किया जा रहा है, किन्तु ग्राम वासियों के पीठ पीछे एनटीपीसी के कर्मचारियों के द्वारा बनावटी व कूट रचित दस्तावेज संग्रह कर भू अर्जन की कार्यवाही का बिना ग्राम वासियों की सहमती व जानकारी के नवीन भू अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के प्रतिकूल किया जा रहा है। जो कि ग्राम वासिंयों के साथ छल किया जा रहा है।

भिखारीमाल के ग्राम वासिंयों के द्वारा दिनांक 13.10.2013 को श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय रायगढ़ के समक्ष एक आपत्ति इस आशय का प्रस्तुत किया गया था। कि उक्त भू अर्जन से स्कूल, खेल मैदान, निस्तारी तालाब, घर व सिंचित कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। जबकी भू अर्जन अधिनियम में यह प्रावधान है कि सिंचित कृषि भूमि कम से कम भू अर्जन के तहत प्रभावित हो उक्त संदर्भ में भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.05.2016 को एक अधिसूचना प्रकाषित किया गया जिसे दृष्टिगत रख कर अग्रिम भू अर्जन कि कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

ग्राम वासिंयो के द्वारा दिनांक 15.05.2015 को महा प्रबंधक एनटीपीसी लारा को भी एक आपत्ति बहुफसलीय कृषि भूमि के संरक्षण के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया जिसका निराकरण भी आज दिनांक तक नहीं किया गया तथा दिनांक 19.05.15 एवं 04.08.15 को भी श्रीमान कलेक्टर महोदय रायगढ़ के समक्ष समस्त ग्राम वासिंयो के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया जिस पर भी आज दिनांक तक कोइ कार्यवाही नही किया गया है।

गोपालपुर ग्राम पंचायत है एवं भिखारीमाल आश्रित गांव होने के कारण दिनांक 11.02.216 को एनटीपीसी कोल माईन्स हेतु उपजाऊ भूमि जिसकी रकबा लगभग 400 एकड़ है कि भू अर्जन के तहत नहीं दिये जाने का सर्वसम्मती से प्रस्ताव पारित किया गया तथा तहसीलदार रायगढ़ के समक्ष कोटवारी , अन्य शासकीय भूमि के ईष्तहार प्रकाषित किया गया था जिस पर आपत्ति प्रस्कृत किया गया है।

उक्त षिकायत कि एक प्रति इस्पात एवं खान राज्य मंत्री भारत सरकार को भी प्रेषित किया गया था, श्रीमान के सचिव के द्वारा दिनांक 22.06.15 को एक पत्र उचित जॉच कर कार्यवाही हेतु जिलाध्यक्ष महोदय को प्रेषित किया गया है जिस पर भी आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं किया गया है।

उपरोक्त विरोध को देखते हुए धारा 11 के कार्यवाही आदेष पत्रक में 31.07.15 उल्लेखित है जबकि समाचार पत्र में 31.08.15 एवं एनटीपीसी के केविएट सूचना में 31.08.2015 का राजपत्र में धारा 11 का प्रकाषन उल्लेख किया गया है जबकि उक्त दिनांक को राजपत्र में प्रकाषन नहीं हुआ है अतएव अध्याय 2 एवं अध्याय 3 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है चूंकि भारत सरकार के द्वारा जारि अधिसूचना 02.03.15 को स्वमेव शुन्य हो जाता है।

अतएव समस्त ग्राम वासियों की सहमती के बिना भू अर्जन की कार्यवाही शुन्य है तथा भू अर्जन के विरोध में ग्रामवासियों के द्वारा पूर्व में भी प्रस्ताव पारित किया जा चुका है।

ग्राम भिखारीमाल में हल्का पटवारी जॉच समिति के द्वारा कभी भी पेड़ो व शासकीय भूमि के संदर्भ में कोई जॉच ही नहीं किया गया है। जबकी ग्राम भिखारीमाल में शासकीय भूमि उपलब्ध होने के पश्चात भी सिंचित (बहुफसलीय) भूमि पर अधिग्रहण करने की कार्यवाही कि जा रही है। जो कि अनुचित व प्रकिया के विपरित है।

धारा 11 के रायगढ़ वेबसाइट पर 13.05.216 को प्रकाषन कराया जाता है एवं उसके पूर्व धारा 19 समाचार पत्र पर प्रकाषित कराया गया है वही धारा 19 का राजपत्र में दिनांक 18.06.2015 को प्रकाषित किया गया है। एवं धारा 21 को सूचना बिना जारि दिनांक के ग्राम वासिंयो में बांट दिया जाता है पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ आज दिनांक तक न तो ग्राम वासिंयों को उपलब्ध कराया गया और न ही समाचार पत्र व वेबसाइट में अपलोड कराया गया है तथा अविधिक रूप से धारा 19 का प्रकाषन करा दिया गया है।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

उपरोक्त अनुसार एनटीपीसी की यह मंषा है कि ग्राम वासिंयों की सहमति के बिना पूर्व के अधिनियम 1894 से भी निम्न स्तर का भू अर्जन कि कार्यवाही कर जबर ग्राम भिखारीमाल के सिंचित भूमि का भू अर्जन कर सिंचित रकबा घटाने का प्रयास किया जा रहा है एव हंम ग्रामवासी जबरन व बिना सहमती के भू अर्जन की कार्यवाही का विरोध करते है। एवं अन्य शासकीय भूमि जिसकी सहमती हमारे द्वारा दिया जा चुका है पर यदि रेल लाईन बिछाया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आपत्ति के निराकरण के संबंध में जानकारी देने के उपरांन्त ही भू अर्जन की अग्रीम कार्यवाही करने की कृपा करें।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

ग्राम भिखारीमाल के समस्त ग्रामवासिंयो द्वारा की गई आपत्ति दिनांक 04.12.2015 के उपरांन्त एनटीपीसी तलाईपाली द्वारा पुनः तीन विकल्पों का सर्वेक्षण राईट्स (भारत सरकार का प्रतिष्ठांन) द्वारा किया गया । तिनों विकल्पों का सर्वेक्षण एवं अध्यन करने पर प्रस्तावित रेल्वे लाईन की संरेखण को हीं उत्तम पाया गया, जिससे ग्राम भिखारीमाल की कम से कम भूमि प्रभावित की जा रही है। इसके अतिरिक्त भू–अर्जन की प्रकिया में दर्ज आपत्ति में उल्लेखित स्कूल एवं घर प्रभावित नहीं हो रहे है। सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं राईट्स का पत्र कमांक No. RITES/site/LARA- STPP/ RIG/corr./ Date: 28.12.2015 आपत्ति निराकरण के साथ संलग्न है।

प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार अद्यतन राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार भू–अर्जन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है, और अद्यतन राजस्व अभिलखों में दर्ज नामों के अनुसार मुआवजा आदि की गणना किया गया। तथा मुआवजा राशि का भुगतान न्यायालय के निर्णय अनुसार किया जावेगा। तद्नुसार आपत्ति का निराकरण किया गया।

(6) उपरोक्त अधिसूचित भूमि में से ख.नं.50/1, 66, 70/31, 65/2, 67, 125/4, 121/1, 65/1, 57, 131/1, 70/68ख, 70/62, 70/33, रकबा कमशः 0.016, 0.026, 0.081, 0.052, 0.491, 0.019, 0.117, 0.111, 0.057, 0.287, 0.056, 0.008, 0.020, कुल ख.नं. 13 कुल रकबा 1.341हे. भूमि प्रभावित नहीं होने के कारण प्रत्याहरण हेतु अधिनियम की धारा 93 की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित की गई है। शेष कुल ख.नं. 35 कुल रकबा 7.316हे. अधिग्रहित की जा रही भूमि के संबंध में स्थल जांच प्रतिवेदन दि. 25/04/2017 एवं पंचनामा दिनाँक 23/04/2017 के साथ आवेदक निकाय, एवं तहसीलदार रायगढ़ की ओर से राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ। अधिग्रहित की जा रही भूमि का स्थल जांच कर भूमि तथा भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों का नियमानुसार निर्धारित मापदंण्ड के अनुसार मुआवजा का गणना पत्रक–भाग–1 क,ख,ग,घ तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, जो आदेश का अंग है।

(7) अधिग्रहित खसरा नं. 126 रकबा 0.235 हे. भूमि तालाब भूमि को कलेक्टर के मौखिक आदेषानुसार परिसंपत्ति मानकर मूल्यांकन किया गया है।

(8) अर्जित की जा रही भूमि का उप पंजीयक, रायगढ़ द्वारा प्राप्त केन्द्रीय मूल्याँकन बोर्ड, रायपुर द्वारा अनुमोदित गाईड–लाईन वर्ष 2015–16 की दर, औसत विक्रीछांट दर तथा आदर्श पुनर्वास नीति (संषोधित) की दर से तुलना में गाईड लाईन की दर अधिक होने के फलस्वरूप गाईड–लाईन वर्ष 2015–16 की दर के अनुरूप मुआवजा का निर्धारण किया गया है। छ.ग. राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 02.10.2015 के अनुसार बाजार मुल्य पर धारा 30(3) के अनुसार 12 प्रतिशत ब्याज की राशि (20 महीने) मुल्यांकन परिगणना कर प्रत्रक – भाग–1 क, ख, ग, घ तैयार किया गया है।

भूमि का प्रकार	गाईड लाईन वर्ष 2015–16 की दर प्रति हे0 में.	बिक्री छांट के अनुसार दर प्रतिहे0 में.	पुर्नवास नीति के अनुसार दर प्रति एकड़
असिंचित खार	763000/–	674715/–	800000/–
सिंचित दोफसली	1395000/–	674715/	1000000/–

(क) भूमि का मुआवजा –

क्र.	अधिग्रहित भूमि का		गाईड लाईन के अनुसार कुल मुआवजा राशि	बिक्री छांट के दर से कुल मुआवजा राषि	पुनर्वास नीति की दर से कुल मुआवजा की राशि	देय मुआवजा
	प्रकार	रकबा				
1	असिंचित खार	5.552	17791941 /–	3746017/–	11002869/–	17791941/–
2	सिंचित दोफसली	1.529	8958411 /–	1031639/–	3778159/–	8958411 /–

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

3	तालाब	0.235	0	0	0	0
कुलयोग		7.316	26750352 /-	4777656/–	14781028/–	26750352 /-

(ख) अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मुआवजा – रू. 1426458/–

(ग) अर्जित भूमि पर स्थित वृक्षों का मुआवजा – रू. 1094718/–

(घ) भूमि परिसंपत्तियों तथा वृक्षों का मुआवजा (क+ख+ग का योग) रू. 29271528/–

(9) प्रकरण मे भू–अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत पुर्नवास प्रतिवेदन तैयार कराने एवं पुर्नवास अवार्ड पारित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

(10) तद्नुसार महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिग परियोजना के रेल लाईन निर्माण के लिये ग्राम की अधिग्रहित निजी भूमि कुल खसरां नं. **37** कुल रकबा **7.316** हे. भूमि तथा भूमि पर स्थित वृक्षों का कुल मुआवजा राशि रूपये **29271528 (दो करोड़ ब्यान्वे लाख इकहत्तर हजार पॉच सौ अट्ठाईस रूपये) मात्र** परिगणित होता है तथा भूमि तथा भूमि पर स्थित परिसंपति का मुआवजा गणना पत्रक–भाग–1 क,ख,ग,घ अवार्ड आदेश का अंग माना जावे। महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिग परियोजना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार अर्जित की जा रही भूमि का मुआवजा राशि छ.ग.शासन राजस्व एवं प्रबंधन विभाग का पत्र क्रमांक एफ–4–03/सात–1/2014रायपुर दिनांक 24.02.2014 कलेक्टर रायगढ़ के पत्र क्रमांक 1539/भू– अर्जन/2014 दिनांक 28.02.2014 एवं राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के अधिसूचना क्र. एफ–4–28/सात–1/2014/दिनांक 04.12.2014 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार गाईड–लाईन वर्ष 2015–16 की दर एवं छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति 2007 (संशोधित) दर से तुलना कर गाईड–लाईन वर्ष 2015–16 की दर अधिक होने के कारण गाइड लाइन की दर से अधिकतम देय मुआवजा की परिगणना की गई है।

तद्नुसार प्रकरण में अवार्ड आदेश पारित किया जाता है।

भू–अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)रायगढ़
जिला रायगढ़ (छ0ग0)

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

पृ.क्रमांक. 858 /भू–अर्जन/2017, रायगढ़ दिनांक 09–05–2017

प्रतिलिपिः–

1– आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

2. कलेक्टर, भू–अर्जन शाखा रायगढ़ को सूचनार्थ सम्प्रेषित। निवेदन है कि प्रकरण में पारित अवार्ड राशि रू **29271528/–** आवेदक निकाय द्वारा जमा किये जाने की सूचना इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें, ताकि तत्संबंधी प्रवृष्टि प्रकरण/पंजी में की जा सके। तथा अनुविभागीय अधिकार (रा.) सह भू–अर्जन अधिकारी रायगढ़ के नाम से बैंक खाते में जमा राशि से अवार्डधारियों को भुगतान की कार्यवाही की जा सके। राशि की आवश्यकता होने पर पृथक से मांग की जावेगी।

3. महाप्रबंधक,एनटीपीसी तलाईपाली कोल माइनिंग परियोजना घरघोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया अवार्ड की प्रति संबंधित भू–स्वामियों को उपलब्ध करावे। प्रकरण में समय–सीमा के भीतर पुनर्वास अवार्ड की कार्यवाही पूर्ण किया जाना है। अतः पुनर्वास प्रतिवेदन मय विहित प्रारूप में गणना पत्रक के साथ तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

4. उप पंजीयक, रायगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित।

5. तहसीलदार, रायगढ़,

6. राजस्व निरीक्षक, रायगढ़

7. हल्का पटवारी क्रमांक 40, रा.नि.मं. रायगढ़

– को अभिलेख दुरूस्ती हेतु अग्रेषित।

भू–अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा)रायगढ
जिला रायगढ़ (छ0ग0)

अनुविभागीय अधिकारी
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)